<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-01 किशनगढ़ (अजमेर)</u>

पीठासीन अधिकारी	:	संदीप आनन्द, आर.जे.एस (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दाण्डिक विविध प्रार्थना पत्र संख्या	:	79/2026
सीआई एस संख्या	:	96/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	48/ 2026, पुलिस थाना रूपनगढ
अपराध अंतर्गत धारा	:	109(1) भा.न्या.स. व 3/25, 3/27 आर्म्स एक्ट

महावीर गुर्जर पुत्र श्योजीराम गुर्जर, उम्र 30 साल निवासी गांव गुर्जर मोहल्ला, रोडावास, पुलिस थाना रूपनगढ़, जिला अजमेर, हाल बंदी केन्द्रीय कारागृह अजमेर। प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक, किशनगढ़, जिला अजमेर। अप्रार्थी / अभियोजन

<u>जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता</u>

उपस्थिति :-

1. श्री उमराव चौधरी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2 श्री भागीरथ लाल जाट, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3 श्री जगदीश गौरा, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

<u>आदेश</u> <u>दिनांक 17-03-2026</u>

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता में प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई जिन्होंने केस डायरी प्रस्तुत की।

2. हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनाँक 12.03.2026 को पर्चा बयान श्री कैलाश पुत्र हरकरण जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी गॉव रलावता पुलिस थाना गाँधीनगर जिला अजमेर के इमरजेंसी जवाहर लाल नेहरु अस्पताल अजमेर पर इस प्रकार लेखबद्ध कराये कि आज समय करीबन 11-12 बजे दिन मे मै मेरी अण्डरग्राउण्ड मशीन का पेमेन्ट लेने के लिए रघुनाथ बावरी निवासी सलेमाबाद के पास गया था। मै मेरी मोटरसाइकिल से गया था नम्बर याद नही है, स्पलेण्डर है। मुझे रघुनाथ बावरी

ने 45,000/ रुपये दिये थे। मैं करीबन एक घंटे बाद पेमेन्ट लेकर गाँव रलावता के लिए रवाना हो गया। मै रास्ते मे बालाजी मदिर के पास पेशाब करने के लिए रुका था। मै चाय पीने के लिए रुक गया था चाय की दुकान पर और लोग भी बैठे थे उसी समय महावीर गुर्जर निवासी गॉव रोडावास भी वहाँ पर आ गया हम दोनो एक दुसरे से बाते करने लगे, इसके बाद जाने लगे तो महावीर गुर्जर ने अपने एक्टिवा स्कुटर से एक तमंचा (हथियार) निकाला व मुझे कहा देख क्या बताता हूँ महावीर के छेडने पर उसके उपर लगी केप जैसी उपर हो गई तो मै साइड मे हो गया तभी तमंचा चल गया शायद वह देशी कटटा था। मेरे दाहिने पैर की जांध पर गोली लग गई व खून बहने लगा। इसके बाद मैने मेरे साथी शैतान गुर्जर निवासी किशनगढ को फोन कर सूचना दी महावीर वहाँ से भाग गया था। शैतान कुछ देर मे वहाँ आ गया मुझे वाईएनएच किशनगढ इलाज के लिए लेकर गया। वाइएनएच किशनगढ से मुझे जेएलएनएच अजमेर रेफर कर दिया। हमारे आपस मे रुपयो को लेकर विवाद हो गया जिसके कारण महावीर गुर्जर ने मुझ पर फायर कर दिया आदि...।

3. उक्त रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस थाना रूपनगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 48/2026 अंतर्गत धारा 109 (1) बीएनएस 2023 तथा 3/25, 27, आर्म्स एक्ट 2023 में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 13.03.2026 को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संबंधित न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किये जाने के पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा एक जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.03.2026 द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। हस्तगत प्रकरण से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई लेना देना नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। स्वयं परिवादी/मजरूब ने इस न्यायालय के समक्ष पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत कथन किए है। अभियुक्त का मजरूब को जान से मारने का आशय प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में

अनुसंधान/विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने पृथक से प्रार्थना पत्र पेश कर उसमें अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 12.03.2026 को अभियुक्त महावीर व परिवादी बालाजी मन्दिर के पास, चाय की दुकान के पास मिले तथा दोनो एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी अचानक परिवादी के दाहिने पेर की जांघ पर गोली लगने पर परिवादी को वाय एन अस्पताल किशनगढ तत्पश्चात् जे० एल० एन० अस्पताल में ईलाज हेतु भर्ती करवाया गया जिसमें अभियुक्त महावीर भी मुझ परिवादी को ईलाज हेतु भर्ती करवाने हेतु सहयोगी रहा था। परिवादी के दाहिने पैर की जांघ पर लगी गोली के सम्बन्ध में अभियुक्त महावीर का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है जिसके सम्बन्ध में परिवादी द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को अवगत करवा दिया गया था की होटल पर बात करने के दौरान या तो होटल कर्मी, होटल पर बेठ किसी व्यक्ति अथवा सडक पर चल रहे किसी वाहन में से फायर किया गया है परन्तु पुलिस अधिकारी द्वारा परिवादी की घायल अवस्था का लाभ उठाकर पर्चा बयान दिनांक 12.03.2026 पर परिवादी के हस्ताक्षर /अंगुठा निशानी ले ली गई है। जो सर्वथा विधि विरुद्ध है। दिनांक 12.03.2026 को उसके व महावीर के मध्य रूपयो को लेकर आपस में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नही हुआ ना ही अभियुक्त महावीर द्वारा परिवादी को जान से मारने की नियत से अवैध हथियार से फायर कर परिवादी पर किसी प्रकार का कोई जानलेवा हमला कारित किया गया। अतः अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

6. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी में संलग्न आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का आपराधिक रिकार्ड शून्य है। मुकामी पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 109(1) भा.न्या.स. व 3/25,3/27 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध रूपयो के विवाद को लेकर परिवादी पर जानलेवा हमला कारित करने के आशय से उस पर फायर कर उसकी जांघ पर गोली मारने का आरोप है, जो कि गंभीर प्रकृति का है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से अनुसंधान अधिकारी

द्वारा हस्तगत घटना में प्रयुक्त देशी पिस्टल व तेरह जिंदा कारतूस को उसकी निशादेही से जब्त किया गया है। जहां तक परिवादी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने का प्रश्न है, इस संबंध में हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध काबिल राजीनामा नहीं है। स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त की मौके पर उपस्थिति मजरूब ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की है एवं प्रार्थी/अभियुक्त की निशादेही से घटना में प्रयुक्त हथियार व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों तथा आरोप की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त महावीर गुर्जर पुत्र श्योजीराम गुर्जर, उम्र 30 साल निवासी गांव गुर्जर मोहल्ला, रोडावास, पुलिस थाना रूपनगढ़, जिला अजमेर, हाल बंदी केन्द्रीय कारागृह अजमेर के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 01, किशनगढ़ जिला अजमेर

9. आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 01, किशनगढ़ जिला अजमेर

SUNIL SONI
Steno Gr. II
"Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.03.18 10:40:57 +0530